कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायगढ़

//आदेश//

क्रमांक **3683**/न्या.लि./2020 रायगढ़, दिनांक 03.05.2020

WHO के अनुसार कोरोना वायरस (COVID-19) एक संक्रामक बिमारी है। इसके संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए तथा इस पर नियंत्रण हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3177/न्या.लि./2020 रायगढ़, दिनांक 14.04.2020 द्वारा आदेश प्रसारित किये गए है।

2. इस कार्यालय द्वारा जारी उक्त आदेश की कंडिका "अ" अनुसार जिले रायगढ़ के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु दिनांक 03.05.2020 मध्य रात्रि तक पूर्णतया लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया था।

3. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार का आदेश क्रमांक 1–29/2020–PP(Pt.II) दिनांक 24.03.2020 एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार का आदेश क्रमांक 40–3/2020– DM-I(A) दिनांक 24.03.2020 के माध्यम से 14.04.2020 से लेकर आगामी 21 दिन अर्थात 03 मई 2020 मध्य रात्रि तक पूरे देश में लॉकडाउन किये जाने का आदेश जारी किया गया था। जिसे संशोधित करते हुये भारत सरकार का आदेश क्रमांक 40–3/2020–DM-I(A) दिनांक 01.05.2020 के अनुक्रम में दिनांक 04 मई, 2020 से दिनांक 17 मई 2020 मध्य रात्रि तक पूरे देश में लॉक डाउन किये जाने का आदेश जारी किया गया है।

4. अतः उपरोक्त कंडिकाओं में वर्णित आदेशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 3177/न्या.लि./2020 रायगढ़, दिनांक 14.04.2020 के अनुसार जिला रायगढ़ के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 03.05.2020 रात्रि 12:00 बजे तक आदेशित पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) के आदेश की समय–सीमा में वृद्धि करते हुए दिनांक 17.05.2020 रात्रि 12:00 बजे तक पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) का आदेश दिया जाता है।

5. इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3679/न्या.लि./2020 रायगढ़, दिनांक 03.05.2020 में उल्लेखित अनुसार शहरी क्षेत्र (नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्र) के अन्तर्गत दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत समस्त दुकाने (बाजार, बाजार परिसर, एकल ब्राण्ड मॉल एवं बहु ब्राण्ड मॉल में स्थित दुकानें, सेलून, ब्यूटी पॉर्लर, होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, चाय दुकान, एवं नास्ता दुकान को छोड़कर) तथा ग्रामीण क्षेत्र में दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत समस्त दुकाने (एकल ब्राण्ड मॉल एवं बहु ब्राण्ड मॉल में स्थित दुकानें, सेलून, ब्यूटी पॉर्लर, होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, चाय दुकान, एवं नास्ता दुकान को छोड़कर) पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) के प्रतिबंध से शर्तों के अधीन छूट प्रदान की गई है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. क्रमांक 3683–A/न्या.लि./2020 रायगढ़, दिनांक 03.05.2020

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर
2. सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर
3. सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर

क्रमशः ....

Scanned with CamScanner

4. सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
5. आयुक्त, बिलासपुर सभाग, बिलासपुर
6. पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर

– की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

7. पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़
9. आयुक्त, नगर पालिका निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. उप संचालक, जनसम्पर्क, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
12. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. सर्व मुख्य कार्यापालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
14. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत जिला रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायगढ़ (छ.ग.)

Scanned with CamScanner